amount of the Special Advance at the Reserve Bank of India rates current from time to time).

(a) Yes, Sir. The total amount of the Special Advance repaid since 1965 is Rs. 5.72 crores in accordance with the Agreement dated 31st January, 1966.

(c) Interest is charged at the Bank Rate current from time to time on the outstanding principal. For the period from 1st April, 1965, to 31st March, 1969, an amount of Rs. 139.62 lakhs was paid towards interest on the outstanding amount of the Special Advance. Besides, an amount of Rs. 24.99 lakhs was paid on 3-3-69 against accruals of interest for the period from 1-4-1961 to 31-3-1965.

Lifting of Control on Distribution of Lambretta Tyres

*628. SHRI B. K. DASCHOWDHARY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Jammu and Kashmir Government have lifted the control imposed on the distribution of Lambretta tyres in the month of May, 1969; and

(b) whether the control is imposed on the distribution of tyres in other States as well and, if so, when it is likely to be lifted?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A AHMED): (a) and (b), The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों के लिये निःशुल्क पास और कूपन

*629. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने विधान सभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों के लिए अपने राज्य के अन्दर यात्रा करने की सुविधा देने के लिए निःशुल्क पास और कूपन जारी करने की व्यवस्था की है ;

(ख) क्या राज्य सरकारें इसके लिए रेलवे मंत्रालय को ठीक समय पर नियमित रूप से धन दे रही हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि निःशुल्क पास व्यवस्था के परिणामस्वरूप पहले दर्जे के रेल डिब्बों में स्थानों का अभाव हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न रेलगाड़ियों में पहले दर्जे के स्थानों में वृद्धि करने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम, सुभग सिंह) : (क) निम्नलिखित राज्य सरकारों ने अपनी विधान सभाओं/विधान परिषदों के सदस्यों को रेल-यात्रा कूपन जारी करने की व्यवस्था की है :—

(i) महाराष्ट्र

(ii) पश्चिम बंगाल

(iii) उत्तर प्रदेश

(iv) गुजरात

(v) बिहार

हरियाणा सरकार ने भी अपने विधान मंडल के सदस्यों को यह सुविधा देने का विनिश्चय किया है और कूपन छप जाने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल और हरियाणा के मामले में, कूपन किसी भी भारतीय रेलवे में यात्रा के लिए उपलब्ध हैं । बाकी चार राज्यों में उन पर केवल सम्बन्धित राज्य के अन्दर यात्रा की जा सकती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।